<u>न्यायालय</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला</u> <u>भिण्ड मध्यप्रदेश</u>

पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण कमांक 205/10 संस्थापित दिनांक 22/04/2010 मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियोजन

बनाम

- 1. माधौसिंह पुत्र रामजीलाल उम्र-40साल
- 2. मुन्नालाल पुत्र रतीराम जाटव उम्र–45साल
- भूरे उर्फ शैलेन्द्र पुत्र अन्तराम जाटवउम्र–25 साल व्यवसाय मजदूरी निवासीगण ग्राम–चपरा पुलिस थाना गारमी जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

<u>::- निर्णय -::</u>

(आज दिनांक 17/11/14को घोषित किया)

- 1. आरोपीगण पर भारतीय दंड विधान की धारा 294,324/34 के अंतर्गत यह आरोप है कि दिनांक 10/02/10 को 12:30 बजे ग्राम पिपाडी हेड बंबा के पास सार्वजनिक स्थॉन परफरियादी को मॉ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया व सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी की धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छा उपहित कारित की।
- 2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह हैकि फरियादी व आहत का आरोपीगण से मध्य राजीनामा हो गया है।
- 3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी राजवीर ने दिनांक 10/2/10 के 12:30बजे पुलिस थाना गोहद में उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिर्पोट की कि आज उसकी पिल सावित्री के साथ ग्राम चपरा से बहन मुन्नी के घर नावली पैदल जा रहे थे माधौसिंह,मुन्नालाल व शैलेन्द्र से पंचायत चुनाव से आपसी रंजिश चल रही थी आज 12:30 बजे पिपाहडी हैड बंबा के पास तीनो मिले और उसे देख

गालियाँ देने लगे वह रूका तो भूरा ने मूंद कीतरफ से कुल्हाडी मारी जो उसक आंख के उपर लगी माधौसिंह व मुन्नालाल गालियाँ दे रहे थे फिर वह चले गये। पित्न को उसने वापिस घर भेज दिया मौका पर कोई अन्य व्यक्ति नही था। वह तथा उसकी पित्न है फिर वह पैदल रिर्पोट को आया है।

- 4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा मर्ग कमांक 5/10 दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया लिया विवेचना में डाँ० द्वारा फरियादी को धारदार हथियार से चोट आने का उल्लेख किये जाने के पश्चात पुलिस थाना गोहद द्वारा अप०क० 57/10 पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपीगण को गिरफतार कियागया व संपूर्ण विवेचनाव पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 5. प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध धारा 294,324/34 के अंतर्गत आरोप विरचित कर आरोपीगण को सुनाये व समझाये गये तो उन्होंने आरोपित आरोप करने से इंकार किया तथा विचारण चाहा। प्ली दर्ज की गई।
- 6. प्रकरण में फरियादी का आरोपीगण के मध्य आपसी हो जाने के कारण आरोपीगण को भा0द0वि0की धारा 294 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त कियागया जबकि शेष <u>धारा324/34</u> भा0द0वि0राजीनामा योग्य न होने से उसमें विचारण यथावत जारी रहा।
- 7. प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह हैकि:— क्या आरोपीगण ने फरियादी की धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेचछा उपहति कारित की?

सकारण निष्कर्ष

8. प्रकरण में राजवीर सिंह आ0सा01 के द्वारा प्रथम सूचनारिपींट लेखबद्ध कराई है। इस साक्षी का कहना हैकि 04साल पहले आरोपीगण से झगडा हो गया था। इसमें धक्का मुक्खी कर मारपीट कर दी थी और मुझे गालियाँ दी थी। झगडा दोपहर के समय पिपाहडी हैंड बंबा के पास हुआ था। उस समय वह अकेला था उक्त झगडे की रिपींट उसने गोहद चौराहा पर की थी जोप्र0ीप01 की है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेडीकल कराया था तथा घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्र0पी02 का है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपीगण खाली हाथ थे उनके पास कोई हथियार नहीं था। साक्षी के द्वारा धारदार हथियार कुल्हाडी से चोट पहुचाये जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं

किया हैकि आरोपी भूरा ने कुल्हाडी से चोट पहुचाकर उपहित कारित की थी। साक्षी के कथनों से प्रथम सूचना रिर्पोट व मेडीकल रिर्पोट का समर्थन नहीं होता है।

- 09. प्रकरण में फरियादी व आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा किया जा चुका है जिससे विदित होता हैकि फरियादी ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख परकथन दिये है प्रकरण में अन्य कोई साक्षी नहीं है।
- 10. प्रकरण में राजवीर सिंह आ०सा०1 घटना का आहत साक्षी है है जिनके द्वारा इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि आरोपीगण ने कुल्हाडी जैसे घातक हथियार से चोट पहुचाकर उपहित कारित की थी साक्षी के कथनों से धारदार हथियार से चोट पहुचाये जाने घटना प्रमाणित नहीं होती है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर भा०द०वि०की <u>धारा324/34</u> के अपराध पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये।
- 11. प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0की <u>धारा324/34</u> के अपराध पूर्णतः अप्रमाणित है। शेष अपराधों में आपसी राजीनामा किया जा चुका है। अतः आरोपीगण को भा0द0वि0की <u>धारा324/34</u> के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपीगण के जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किये जाते है।
- 12. प्रकरण मे निराकण हेतु मुददेमाल नही है।
- 13. प्रकरण में धाारा 428 द0प्र0स का प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।
- 14. प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय अपीलीय न्यायालय में याचिका दायर की जाती है और अपीलीय न्यायालय आरोपीगण को आहूत करता है तो आरोपीगण माननीय अपीलीय न्यायालय में उपस्थित रहे इस संबंध में धारा 437ए द्र प्र0स0केतहत 10—10 हजाररूपये जमानत व इतनी ही राशि के बंधपत्र आरोपीगण से लिये जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता0सही जे0एम0एफ0सी0गोहद जिला भिण्ड हस्ता०सही जे०एम०एफ०सी०गोहद जिला भिण्ड